

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर**

क्रमांक/स्था/राज/एनएचएम/2023/ 7229

जबलपुर, दिनांक 17/08/2023

// आदेश //

मेडिकल कॉलेज जबलपुर में एस.एन.सी.यू. में एन.एच.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत संविदा स्टाफ नर्सों में से 12 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन कं/स्था/अराज/एनएचएम/2022/207/ जबलपुर दिनांक 10.01.2022 एवं संशोधित विज्ञापन कं/स्था/अराज/एनएचएम/2022/8772/ जबलपुर दिनांक 07.09.2022 के अंतर्गत मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र कं/एनएचएम/एचआर/2023/3395 भोपाल दिनांक 28.04.2023 के तहत अनुमोदन के पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एस.एन.सी.यू. के अंतर्गत शिशु रोग विभाग में एस.एन.सी.यू. में स्टाफ नर्स के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 20,000/- प्रतिमाह पर पत्र कं/स्था/अराज/एनएचएम/2023/4591/ जबलपुर दिनांक 29.05.2023 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए कहा गया था। कुल 12 चयनित अभ्यर्थियों में से 06 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। उनके स्थान पर श्रेणी अनुसार रिक्त पदों हेतु अधोलिखित प्रतीक्षा सूची के 06 अभ्यर्थियों को आदेश कं/स्था/अराज/एनएचएम/2023/6243/ जबलपुर दिनांक 21.07.2023 के माध्यम से अपने मूल दस्तावेज एवं रिमार्क में दिए गये दस्तावेजों के साथ दिनांक 08/08/2023 को प्रातः 10:00 -12:00 बजे के मध्य बाल्य एवं शिशु रोग विभाग में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। कुल 06 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। जिनका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर श्रेणी अनुसार रिक्त पदों हेतु अधोलिखित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को आदेशित किया जाता है कि अपने मूल दस्तावेज एवं रिमार्क में दिए गये दस्तावेजों के साथ दिनांक 06/09/2023 को प्रातः 10:00 -12:00 बजे के मध्य बाल्य एवं शिशु रोग विभाग में उपस्थित हों। उपरोक्त नियत समय एवं तिथि पर अनुपस्थित होने पर आपका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा एवं किसी भी रूप में नियुक्ति का आपका दावा निरस्त कर दिया जावेगा। यदि इसके पश्चात भी पद रिक्त रहते हैं तब आदेश कं/स्था/अराज/एनएचएम/2023/4591/ जबलपुर दिनांक 29.05.2023 में दी गयी प्रतीक्षा सूची के अनुसार निचले क्रम के आवेदकों को नियुक्ति हेतु पृथक आदेश जारी किये जाएंगे। नियुक्ति की शर्तें नीचे दी गयी शर्तों के अनुसार होंगी।

पूर्व में जारी की गयी चयनित अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची -

S No	NAME	FATHER'S/ SPOUSE NAME	Category	Selected	Remark	
01	Isha Pradhan	Robert Pradhan	EWS WT -01	Selected EWS- 01		Absent
02	Rupali Rajneere	Hansaram Rajneere	ST WT-1	Selected ST- 01		Absent
03	Samreen Khan	Shaif Mohommad Khan	WT OBC 01	Selected OBC- 01	Conditional selection on the submitting updated OBC caste certificate	Absent

अनुपस्थित चयनित अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की सूची -


अधोलिखित अभ्यर्थियों को आदेशित किया जाता है कि अपने मूल दस्तावेज एवं रिमार्क में दिए गये दस्तावेजों के साथ दिनांक 06/09 /2023 को प्रातः 10:00 -12:00 बजे के मध्य बाल्य एवं शिशु रोग विभाग में उपस्थित हों। उपरोक्त नियत समय एवं तिथि पर अनुपस्थित होने पर आपका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा एवं किसी भी रूप में नियुक्ति का आपका दावा निरस्त कर दिया जावेगा।

S No	NAME	FATHER'S/ SPOUSE NAME	Category	Selected	Remark
01	Manju Rajan	Sanu K Samual	EWS WT -02	Selected EWS- 01	
02	Salviya Paraste	Late Anoop Paraste	ST WT-3	Selected ST- 01	
03	Ekta Verma	Ajay Verma	WT OBC 03	Selected OBC- 01	

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी

1. नियुक्ति दिनांक 06/09/2023 प्रातः 10:30 बजे बाल्य एवं शिशु रोग विभाग में समस्त मूल दस्तावेज, रिमार्क में दिये गए दस्तावेजों की मूल प्रति, पुलिस वेरीफिकेशन प्रस्तुत करने के पश्चात ही मान्य होगी।
2. चयनित अभ्यर्थी यदि उपरोक्त दिनांक को अपने मूल दस्तावेज एवं रिमार्क में दिये गए दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी चयनित अभ्यर्थी की होगी।
3. यदि चयनित अभ्यर्थी उपरोक्त दिनांक को किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उसकी युक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी चयनित अभ्यर्थी की होगी।
4. जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रतीक्षा सूची में है उन्हें दिनांक 06/09/2023 को प्रस्तुत नहीं होना है, यदि चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त होती है तब प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। जिसके लिए आदेश महाविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।
5. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी।
6. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
7. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहाँ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
8. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
9. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
11. यदि आपका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो विभागाध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात अधिष्ठाता द्वारा 03 कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात आपकी नियुक्ति एक माह का नोटिस देने के पश्चात निरस्त की जा सकती है।
12. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप कमजोर के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
13. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. की सेवा शर्तों के अधीन है। एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
14. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया करना आवश्यक है।

15. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
16. संस्था में मादक एवं उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युत कर दिया जावेगा।
17. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरुद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
18. आकस्मिक अवकाश - संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जावेगा।
19. चिकित्सा अवकाश- संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश एवं 15 दिवस अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।
20. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
21. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।
22. नियुक्त अभ्यर्थी को एन.एच.एम. संविदा मानव संसाधन मैनुएल- 2021 की शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर


कमांक/स्था/अराज/एनएचएम/2023/

जबलपुर, दिनांक /08/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित-

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम भवन लिंक रोड नं. 3 पत्रकार कॉलोनी, भोपाल मध्यप्रदेश की ओर।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
3. संभागीय कार्यक्रम-प्रबंधक-जबलपुर की ओर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर की ओर।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
6. नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
7. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
8. स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आरबीएसके बजट से करना सुनिश्चित करें।
9. कृ./श्रीमति/श्रीपिता.....पता.....

सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर